84

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2019—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—09—2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 55/1994—95/अपील

.....

1— मुरारीलाल पुत्र प्रभुलाल
2— उमाकान्त पुत्र प्रभुलाल
3— रामजीलाल पुत्र प्रभुलाल
4— बांकेलाल पुत्र प्रभुलाल
5— बनवारीलाल पुत्र प्रभूलाल
निवासीगण— पैट्रोल पंप के समाने,
सबलगढ़ तहसील सबलगढ़,
जिला —मुरैना (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामकटोरी पत्नी चिरोंजीलाल गौंड़
निवासी— लकेंजरा तहसील सबलगढ़,
जिला— मुरैना (म0प्र0)
2— महिला रामदुलारी पत्नी सेवाराम पुत्री छीतरिया
निवासी— कैलारस तहसील कैलारस
जिला— मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/1994—95/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08—09—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील कैलारस के ग्राम बथरेंटा में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 776 रकबा 4 बीघा 11 विस्बाा पर भूमिस्वामी बनाये जाने बावत एक आवेदन पत्र आवेदकगण ने विचारण न्यायालय में पेश कर अनुरोध किया गया था कि उक्त विवादित भूमि को 2 वर्ष के लिये मिट्टी उठाने बावत सिचांई विभाग द्वारा प्रकरण कमांक 1/59/26 के जर्ये एक्वायर किया गया था, उसके बाद विवादित भूमि को पटवारी अभिलेख में आवेदकगण के नाम दर्ज की जाना चाहिये था, किन्तु आज भी पटवारी अभिलेख में विवादित भूमि चंबल नहर के नाम से अंकित चली आ रही है। अतः आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 11/90–91 बी–121 पर दर्ज किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.03.94 द्वारा सहिंता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत विवादित भूमि पर आवेदकगण को भूमिस्वामी द्योषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.94 से दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण कमांक 43/93–94/अपील माल पर दर्ज किया जाकर प्रकरण में पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 09.01.95 से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.94 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 09.01.95 से परिवेदित होकर आवेदकगणों ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभा, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 55/94–95/अपील माल पर किया जाकर, पारित आदेश दिनांक 08.09.2005 द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण पक्षकार नहीं रहे है । ऐसी स्थिति में अपील करने की अनुमति ली जाना चाहिये थी, जो नहीं ली गई है । अनावेदकगण को अपील करने का अधिकार प्राप्त नहीं था । प्रस्तुत अपील जो कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के समक्ष पेश की थी, वो प्रथम दृष्टि में ही अवधि बाह्य अपील थी। अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अवधि के बिन्दु पर विचार करते हुये उसका निराकरण करना चाहिये था, तत्पश्चात ही अपील निराकरण गुणदोष के आधार पर करते, किन्तु ऐसा न करते हुये अंतिम आदेश पारित किया है जो

निरस्तनी है । अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के अधीन प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की है जो अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण आपत्तिकर्ता थे, उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विवादित भूमि अनावेदकगण के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा गलत प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूमि को आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी के रूप में घोषित कर दी गई । प्रथम अपील करने पर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है । अतः निगरानी निराधार होने से निरस्त किया जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालों के अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ ने अपने आदेश में लिखा है कि विवादित भूमि संवत 2007 में चम्बल नहर के नाम से दर्ज हैं । प्रविष्टि 1 वर्ष से अधिक अवधि का है । संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र जो कि आवेदकगण ने विचारण न्यायालय में पेश किया था, उसे मान्य नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ ने इस बिन्दु पर कतई विचार ही नहीं किया कि आवेदकगण ने जो आवेदन–पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था, वह संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत नहीं था, बल्कि विवादित भूमि पर भूमिस्वामी बनाये जाने की प्रार्थना की गई थी, न कि खसरे में हुये इन्द्राज को दुरूस्त करने करने की । प्रकरण क्रमांक 1/59/26 द्वारा विवादित भूमि को 2 वर्ष के लिये मिट्टी निकालने के लिय एक्वायर की गई थी। समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, किन्तु पटवारी अभिलेख में की गई एन्ट्री को निरस्त नहीं किया गया था और न ही उक्त भूमि को पूर्व की स्थिति में लाया गया था । चूँकि खसरे में आवेदकगण के पिता प्रभूदयाल की मृत्यु को जाने के बाद उसके वारिसानों द्वारा भूमिस्वामी बनाये जाने बावत एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था, चूँकि अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया था । विचारण न्यायालय में प्रकरण तो बी–121 में दर्ज

किया, किन्तु उसमें पारित आदेश संहिता की धारा 115 व 116 के अंतर्गत किया गया। संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत आदेश होने से अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैण माना । दोनों न्यायालयों द्वारा इस बात पर कोई विचार ही नहीं किया गया कि प्रस्तुत आवेदन पत्र किस धारा के तहत है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने इसी आधार पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किया है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र की मंशा को समझकर दोनों पक्षकारों को अपना पक्ष समर्थन करने का समुचित अवसर देते हुये, नये सिरे से कार्यवाही प्रारंभ करते हुये गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। मेरे विचार से अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–09–2005 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर